



2026:AHC: 78919

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 2276/2017

शंभु

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता : पंकज कुशवाहा, सुरेश चंद्र कुशवाहा

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 93

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती वानी रंजन अग्रवाल

1. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज कुशवाहा और राज्य-प्रत्यर्थी के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता (ए.जी.ए.) श्री राहुल अस्थाना को सुना।

2. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अंतर्गत यह आपराधिक अपील विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 2, जालौन स्थान उरई द्वारा आपराधिक वाद संख्या 36 वर्ष 2016 (राज्य बनाम शम्भू), जो मुकदमा अपराध संख्या 11 वर्ष 2016, धारा 363, 366, 376 भा.द.सं. (भा.द.सं.) और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पाँक्सो) अधिनियम की धारा 3/4, पुलिस स्टेशन कैलिया, जिला जालौन से उत्पन्न है, में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 20.4.2017 को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपीलकर्ता को निम्नानुसार दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया है:-

धारा 363 भा.द.सं. के अंतर्गत - 2,000/- रुपये के अर्थदंड के साथ पांच वर्ष का कठोर कारावास और अर्थदंड के भुगतान में व्यतिक्रम होने की स्थिति में अपीलकर्ता को तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगताना होगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



धारा 366 भा.द.सं. के अंतर्गत - 5,000/- रुपये के अर्थदंड के साथ सात वर्ष का कठोर कारावास और अर्थदंड के भुगतान में व्यतिक्रम होने की स्थिति में अपीलकर्ता को छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगताना होगा।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत - 10,000/- रुपये के अर्थदंड के साथ दस वर्ष का कठोर कारावास और अर्थदंड के भुगतान में व्यतिक्रम होने की स्थिति में अपीलकर्ता को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगताना होगा।

3. संक्षेप में अभियोजन का मामला:-

19.01.2016 को दोपहर लगभग 3:30 बजे, शिकायतकर्ता रंजीत पुत्र गंगाचरण, निवासी कुदारी, पुलिस स्टेशन कैलिया, जिला जालौन ने पुलिस स्टेशन कैलिया में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि घटना 18.01.2016 को शाम 6:30 बजे ग्राम कुदारी, पुलिस स्टेशन कैलिया, जिला जालौन में हुई। शिकायतकर्ता की पुत्री/पीड़िता, जिसकी आयु लगभग 15 वर्ष थी, जिसका जन्म 5 दिसंबर, 2000 को हुआ था, अपने चौपारी वाले घर गई थी, जहां ग्राम कुदारी निवासी ओम प्रकाश पुत्र लाखन का साला शम्भू पुत्र सरमन (अभियुक्त), निवासी ग्राम चिरगांव खुर्द, पुलिस स्टेशन समथर, जिला झांसी, एक अन्य अज्ञात व्यक्ति के साथ आया और शिकायतकर्ता की पुत्री/पीड़िता को बहला-फुसलाकर मोटरसाइकिल पर बैठा लिया और जबरन ले गया। गंगाचरण पुत्र शिवदयाल और ब्रजेश पुत्र शिवबालक ने उन्हें घटनास्थल पर देखा और उन्हें ललकारा, लेकिन वे मोटरसाइकिल भगा ले गए। वे घर लौटे और उन्होंने पूरी घटना बताई। शिकायतकर्ता ने रात भर तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। यह भी ध्यान दिया गया कि अभियुक्त शम्भू के पास दो मोबाइल फोन हैं, जिन पर उसने 19 जनवरी, 2016 को शाम 5:30 बजे 8009203538 पर बात की थी, उक्त नंबर बाद में स्विच ऑफ हो गया। दूसरा मोबाइल नंबर 9559873116 बज रहा था, लेकिन उठ गया (उठा लिया गया)।

उपरोक्त शिकायत के आधार पर, अभियुक्त शम्भू और एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 366 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। मामले की विवेचना की गई। विवेचना के दौरान, विवेचना अधिकारी ने शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान लिए, घटनास्थल का निरीक्षण किया और नक्शा-नजरी तैयार किया। विवेचना के दौरान, अपहृत पीड़िता को बरामद किया गया, उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, और

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



पीड़िता की शिक्षा और जन्म तिथि के संबंध में शैक्षिक प्रमाण पत्र एकत्र किए गए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत उसका बयान दर्ज किया गया। विवेचना की अन्य सभी कार्यवाही पूरी करने के बाद, अभियुक्त शम्भू के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 3/4 के अंतर्गत आरोप-पत्र दाखिल किया गया। जिस पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया और अभियुक्तों को विचारण का सामना करने के लिए तलब किया गया।

न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने पर, अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 और 376 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 3 और 4 के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए। अभियुक्त ने अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों से इनकार किया और विचारण की मांग की।

4. अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को साबित करने के लिए, अभियोजन गवाह-1 शिकायतकर्ता रंजीत, अभियोजन गवाह-2 पीड़िता, अभियोजन गवाह-3 ब्रजेश, अभियोजन गवाह-4 कांस्टेबल राजकुमार, अभियोजन गवाह-5 डॉ. कविता कोरी, अभियोजन गवाह-6 कन्हैयालाल कुशवाहा (प्रधानाध्यापक), अभियोजन गवाह-7 उप-निरीक्षक प्रमोद कुमार का परीक्षण कराया।

अभियोजन गवाह-1 रंजीत ने गवाही दी कि पीड़िता उसकी पुत्री है और बताया कि घटना तब हुई जब वह पशुशाला की ओर जा रही थी। गवाह ने कहा कि उसके पिता ने उसे घटना की जानकारी दी। उसने लड़की/पीड़िता की तलाश की और जब वह नहीं मिली, तो उसने एक टंकित (टाइप की हुई) रिपोर्ट तैयार करवाई और उसे पुलिस स्टेशन में प्रस्तुत कर दिया।

अभियोजन गवाह-2 स्वयं पीड़िता है जिसने अभियोजन संस्करण का समर्थन किया और कहा कि वह वर्तमान में 11वीं कक्षा में पढ़ रही थी और जब वह लौट रही थी तो उसका सामना अज्ञात साथी के साथ अभियुक्त शम्भू से हुआ। उसने यह भी कहा कि उसने उसे एक देशी पिस्तौल (तमंचे) से डराया-धमकाया कि वह उसके साथ चले अन्यथा वह उसके भाई को जान से मार देगा।

अभियोजन गवाह-3 ब्रजेश ने अपनी गवाही में अभियोजन पक्ष का समर्थन किया और कहा कि घटना के दिन, वह खेत की चौपारी बखरी के पास बैठा था जब शम्भू जबरन रंजीत की पुत्री को ले जा रहा था।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अभियोजन गवाह-4 कांस्टेबल राजकुमार ने अपनी गवाही में कहा कि घटना के दिन वह पुलिस स्टेशन कैलिया में सी.सी.टी.के.एस. के रूप में तैनात था और उसने प्रदर्श क-4 (जी.डी. प्रविष्टि) और पेपर नंबर 4क (एफ.आई.आर.) को अपने द्वारा टाइप किए गए होने के रूप में पहचाना।

अभियोजन गवाह-5 डॉ. कविता कोरी ने पीड़िता के बाहरी और आंतरिक चिकित्सीय परीक्षण के साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए कहा कि मेडिकल रिपोर्ट और पूरक रिपोर्ट पर प्रदर्श क-6 और प्रदर्श क-7 के रूप में उनके हस्ताक्षर हैं।

अभियोजन गवाह-6 कन्हैयालाल कुशवाहा ने कहा कि पीड़िता उनके विद्यालय की छात्रा रही हैं और उन्होंने स्कूल रजिस्टर को प्रदर्श क-8 और स्थानांतरण प्रमाण पत्र (ट्रांसफर सर्टिफिकेट) को प्रदर्श क-9 के रूप में पहचाना।

अभियोजन गवाह-7 उप-निरीक्षक प्रमोद कुमार एस.एच.ओ. के रूप में तैनात थे, जिन्होंने मामले की विवेचना का कार्यभार संभाला। उन्होंने गवाहों के बयान दर्ज किए, नक्शा-नजरी (प्रदर्श क-10) का निरीक्षण किया और प्रदर्श क-11 के रूप में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया।

5. अभियोजन साक्ष्य के पश्चात, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्त का बयान दर्ज किया गया जिसमें उसने कहा कि अभियोजन की कहानी झूठी है और उसके विरुद्ध मामला गलत तरीके से चलाया गया है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्क:-

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता ने अपने बहनोई, ओमप्रकाश का पक्ष लेते हुए शिकायतकर्ता रंजीत के साथ मारपीट की थी। इसलिए, शिकायतकर्ता रंजीत ने उसे झूठा फंसाने के लिए पुलिस के साथ मिलीभगत की। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि अभियोजन गवाह-2 ने प्रति-परीक्षा के पृष्ठ 6 पर कहा कि उसने इंस्पेक्टर और मजिस्ट्रेट को जो बयान दिया था वह झूठा था और उसने वह बयान पुलिस के कहने पर दिया था। पीड़िता द्वारा इंस्पेक्टर, मजिस्ट्रेट और न्यायालय में दिए गए बयानों में पर्याप्त विरोधाभास हैं, और इसलिए, उसके बयान की सत्यता पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत अपने बयान में, पीड़िता ने कहा कि 18 जनवरी, 2016 को शाम लगभग 6:30 बजे, वह चौपारी गई थी, जहां रंकी और उर्मिला उसे ले गई थीं।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



वहां, उर्मिला का भाई शम्भू और एक अज्ञात व्यक्ति, जिसने नकाब पहना हुआ था, उनसे मिले। ये लोग पहले से ही बंबा (नहर) पर एक लाल रंग की मोटरसाइकिल पर थे। शम्भू ने उसका हाथ पकड़ा, उसे पिस्तौल से धमकाया, और उसे बैठा लिया। उर्मिला और रंकी ने उसे ले जाने के लिए कहा। शम्भू और एक अज्ञात व्यक्ति उसे मोटरसाइकिल पर जंगल में ले गए, जहां शम्भू ने उसके साथ जबरन बलात्कार किया। गांव का रहने वाला ओमप्रकाश रात 9-10 बजे खाना देने आया और उसने भी उसके साथ बलात्कार किया। न्यायालय के समक्ष अपने बयान में, इस गवाह ने केवल इतना कहा कि शम्भू एक अज्ञात व्यक्ति के साथ उसे जंगल में ले गया और अभियुक्त शम्भू ने उसके साथ बलात्कार किया; उसने कोई अन्य विवरण प्रकट नहीं किया।

आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि चिकित्सीय साक्ष्य दर्शाता है कि पीड़िता का हाइमन फटा हुआ है। यह बलात्कार की पुष्टि नहीं करता है, जिससे अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो जाता है।

दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान मामले में, शिकायतकर्ता अभियोजन गवाह-1, पीड़िता अभियोजन गवाह-2 और स्वतंत्र गवाह अभियोजन गवाह-3 ब्रजेश के बयान स्पष्ट रूप से यह साबित करते हैं कि अभियुक्त शम्भू एक अन्य अज्ञात व्यक्ति के साथ जबरन पीड़िता को मोटरसाइकिल पर जंगल में ले गया और शम्भू ने उसके साथ बलात्कार किया। उसके साथ जबरन बलात्कार किया गया। विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष इन गवाहों की प्रति-परीक्षा की गई, और कुछ विरोधाभास स्पष्ट थे, जो स्वाभाविक हैं। उनके बयानों में कोई ऐसा पर्याप्त विरोधाभास नहीं है जो घटनाओं के अभियोजन संस्करण पर संदेह पैदा करे। उनके बयान पूरी तरह से सत्य, विश्वसनीय और स्वाभाविक हैं। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अभियुक्त शम्भू के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 और 376 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 3/4 के अंतर्गत आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे पुष्ट करता है।

7. विश्लेषण

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क असत्य प्रतीत होता है, क्योंकि वे अपने तर्कों के समर्थन में कोई साक्ष्य इंगित नहीं कर सके, और न ही अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य मौजूद है जिससे यह निष्कर्ष निकले कि अभियुक्त ने अपने बहनोई ओमप्रकाश का पक्ष लेते हुए शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की थी। अभिलेख पर शिकायतकर्ता द्वारा अभियुक्त को झूठा

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



फंसाने का कोई कारण मौजूद नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त कथन आत्मरक्षा में मनगढ़ंत रूप से गढ़ा गया है। यह सत्य है कि पुलिस और मजिस्ट्रेट को दिए गए पीड़िता के बयानों में विरोधाभास हैं। हालांकि, प्रत्येक बयान में उसने कहा कि अभियुक्त शम्भू और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति उसे जंगल में ले गए और उसके साथ बलात्कार किया। वर्तमान मामले में, केवल अभियुक्त शम्भू का विचारण किया गया था, इसलिए उसके विरोधाभासी बयान शम्भू द्वारा किए गए अपराध के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न नहीं करते हैं। इसके अलावा, चिकित्सीय साक्ष्य के अभाव में, यह नहीं कहा जा सकता है कि पीड़िता को अभियुक्त शम्भू द्वारा जबरन जंगल में नहीं ले जाया गया और उसके साथ बलात्कार नहीं किया गया। उपरोक्त तथ्य अभियोजन के साक्ष्य द्वारा भली-भांति स्थापित होते हैं। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कोई अन्य तर्क नहीं उठाया गया है।

8. निष्कर्ष :-

समग्र परिस्थितियों और अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. के प्रस्तुतीकरण पर विचार करते हुए तथा साक्ष्य और निचली अदालत के अभिलेख का अवलोकन करने के पश्चात, मैं विद्वान विचारण न्यायालय की राय से भिन्न राय लेने के लिए स्वयं को सहमत करने में असमर्थ हूँ। विद्वान विचारण न्यायालय अभियुक्त-प्रत्यर्थी को दोषसिद्ध करने में पूरी तरह से न्यायोचित था।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय में कोई अवैधता, दुर्बलता या विकृति इंगित करने में विफल रहे। तदनुसार, इसे एतद्वारा बरकरार रखा जाता है।

अपील गुण-दोष रहित है और तदनुसार खारिज की जाती है।

25 मार्च, 2026

देव

(न्यायमूर्ति श्रीमती वानी रंजन अग्रवाल)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”